



29/1

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

पत्रांक : 308 / 28 / 76 / एक / 2018-19
सेवा में,

दिनांक : 27 अप्रैल 2018

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-फैजाबाद।

विषय : मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण
महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में आपके जनपद को मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत (अनुदान संख्या-37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख रू० में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
एक्सिस बैंक	914010006176029	IFSC Code UTIB0000377	235.214

(धनराशि लाख रू० में)

क्र०सं०	जनपद का नाम	योजना का नाम	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मु०न०अ०वि० व म०ब०वि० योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण (प्रथम किश्त)
1	फैजाबाद	मु०अ०-37	न०प० बीकापुर	वार्ड न० 05 बिलारी माफी (सेमरा) में मेन रोड से जगराम निषाद के घर तक, विनोद निषाद के घर होते हुए गिरजा निषाद के घर तक, चौथी कोरी के घर से मंजू कोरी के घर तक, मेन रोड से राम सहाय वर्मा, छंगू कोरी, राम निहाल कोरी के घर होते हुए जानकी के घर तक तथा राममनोहर के घर से अशोक के घर तक इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण तथा प्रकाश व्यवस्था।	17.211
2	फैजाबाद	मु०अ०-37	न०नि० अयोध्या	रामघाट छोटी छावनी वार्ड (हनुमत्नगर) में जंगली के घर से राम प्रसाद के घर तक, शशिदास के घर से विजय प्रकाश के घर तक सी०सी० रोड से रामू मोदन वाल के घर तक, बृजविलास के घर से सिब्बू मिश्रा के घर तक, सिब्बू मिश्रा के घर से विजय शंकर मिश्रा के घर तक तथा बृजेश के घर से हरिशंकर के घर तक इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण तथा प्रकाश व्यवस्था।	36.705
3	फैजाबाद	मु०अ०-37	न०नि० अयोध्या	वार्ड न०-50 बड़ा रमना हैदरगंज में योगेश चन्द्र के घर से रामतेज के घर होते हुए फिरता देवी के घर तक, हरिराम के घर से नन्हकू के घर तक, वार्ड न०-10 रायगंज में आर०के० शुक्ला के घर से मन्दिर होते हुए राजू सोनकर के घर तक, अशोक सोनी के घर से वीरेन्द्र माझी के घर तक, राजू मिश्रा के घर से सुरेन्द्र नाथ के घर तक, रामसुरत माझी के घर से वीरेन्द्र सिंह के घर तक, हरीराम माझी के घर से अरुण देव त्रिपाठी के घर तक, वार्ड न०-43 हनुमान कुण्ड में रामू माझी के घर से	28.315



29/2

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

क्र०सं०	जनपद का नाम	योजना का नाम	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मु०न०अ०वि० व म०ब०वि० योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण (प्रथम किश्त)
				रामकुमार माझी के घर होते हुए ऊषा देवी के घर तक, जैन मन्दिर के सामने से राधेश्याम चौरसिया के घर होते हुए पेन्टिर रोड तक, राधेश्याम चौरसिया घर से राजू जायसवाल के घर तक तथा विजय गुप्ता के घर से शिवदयाल सोनी के घर तक इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण तथा प्रकाश व्यवस्था।	
4	फैजाबाद	मु०अ०-37	न०प० रूदौली	वार्ड नं०-10 अकबरगंज में सुशील कुमार के घर से आर्दश स्कूल तक, मेन रोड से एफ०सी०आई० गोदाम तक, आमीन कार्यालय से जिलेदार कार्यालय होते हुए डाक बंगला तक, मेन रोड से नलकूप विभाग तक, मेन रोड से नहर पटरी होते हुए विश्वकर्मा मन्दिर तक इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण तथा प्रकाश व्यवस्था।	43.511
5	फैजाबाद	मु०अ०-37	न०प० रूदौली	वार्ड नं०-05 पूरे हुसैन खों में मलकनिया मन्दिर से बिस्मिल्लाह के घर तक, हनुमान टीला के घर होते हुए नसीर के घर के पास पेन्टिंग रोड तक तथा मदनबिहारी के घर से उमाशंकर के घर तक इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण तथा प्रकाश व्यवस्था।	34.592
6	फैजाबाद	मु०अ०-37	न०प० गोसाईगंज	वार्ड नं०-1 संत रविदास चौराहे से बनराजा बस्ती तक, मा० सांसद हरिओम पाण्डेय जी से गोशाईगंज बन्धे तक, वार्ड नं०-7 जी०जी०आई०सी० स्कूल के गेट से नलकूप तक, मुन्नी लाल पत्थरकट के सामने से पशुचिकित्सालय के गेट तक, वार्ड नं०-5 हुसैन मार्केट से दीक्षा विद्यालय तक तथा वार्ड नं०-8 कृपाशंकर हलवाई के घर से स्वर्गीय रामप्रसाद के घर तक इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण तथा प्रकाश व्यवस्था।	29.060
7	फैजाबाद	म०ब०-83	न०प० बीकापुर	वार्ड नं० 05 बिलारी माफी में केवटहिया में मेन रोड से देवनारायन के घर तक, लालमणि के मकान से राज बक्स के मकान होते हुए बब्बन निषाद के घर तक, धनपता के घर से देवस्थल होते हुए परसुराम के घर तक, रामकिशोर के घर से कुआ तक, अमरीका निषाद के घर से सी०सी० रोड तक, तथा शिव कुमार के घर से सिद्धनाथ के घर होते हुए सी०सी० रोड तक इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण तथा प्रकाश व्यवस्था।	45.820
	योग				235.214

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-



राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

- 1- उ०प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना हेतु स्वीकृत डी०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता/पुरातत्व विभाग आदि के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2018-19 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9- उक्त धनराशि डूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसका भुगतान न करते हुये उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।



29/5

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

- 12- शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष 50 प्रतिशत की प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(साजिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि :निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक/परि० अधि०, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. कार्यक्रम अधिकारी, सूडा।
3. अधि० अभियन्ता-सूडा
4. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।

(साजिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक